



हरियाणा विधान सभा

पंद्रहवी विधान सभा
अक्टूबर सत्र 2024

कार्य सूची

25 अक्टूबर 2024

1. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के अधीन सदस्यगण शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे।

2. अध्यक्ष का निर्वाचन।

3. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।

(1)

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम “सभा की बैठकें” के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

4. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।

(1)

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

5. उपाध्यक्ष का निर्वाचन।

Chandigarh-160001
दिनांक: २४ अक्टूबर २०२४

डा. सतीश कुमार
सचिव
हरियाणा विधान सभा